भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *321

जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयले की ढुलाई करने वाले वाहनों के कारण दुर्घटनाएं

***321. श्री काली चरण सिंह:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आम्रपाली-मगध कोयला खदानों से सार्वजनिक सड़कों के माध्यम से की जाने वाली कोयला ढुलाई से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत है जिसके कारण लगातार दुर्घटनाएं होती हैं और भारी वाहनों से एक हजार से अधिक मौतें हो चुकी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा नीति लागू की गई है या लागू किए जाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी मौतों के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) या परिवहन कंपनियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'कोयले की ढुलाई करने वाले वाहनों के कारण दुर्घटनाएं' के संबंध में श्री काली चरण सिंह, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 18.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *321 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क) : आम्रपाली और मगध कोयला खानें कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। आम्रपाली और मगध कोयला खानों के लीजहोल्ड क्षेत्र के भीतर किए गए खनन और संबद्ध कार्यों से संबंधित सुरक्षा पहलुओं को सीसीएल प्रबंधन द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके लिए सीसीएल यह सुनिश्चित करता है कि खान में सुरक्षा बनाए रखने के लिए लागू नियमों और विनियमों के अनुसार अपेक्षित सभी सुरक्षा उपाय किए जाएं। तथापि, सार्वजनिक सड़कों पर यातायात की आवाजाही राज्य प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आती है और यह सीसीएल के क्षेत्राधिकार से बाहर है। झारखंड सरकार ने सूचित किया है कि आम्रपाली-मगध कोयला खानों से कोयला ढुलाई के कारण क्रमशः वर्ष 2023 में 10 और वर्ष 2024 में भारी वाहनों द्वारा 09 दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ख) : कोयला खानों के लीजहोल्ड क्षेत्र के भीतर हुई ऐसी दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवारों को मुआवजे का भुगतान लागू प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। तथापि, कोयला खानों के लीजहोल्ड क्षेत्र के बाहर सार्वजनिक सड़कों पर यातायात की आवाजाही के कारण होने वाली दुर्घटनाएं राज्य प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आती हैं और यह कोयला कंपनियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इस प्रकार, सीसीएल द्वारा कोयला खानों के लीजहोल्ड क्षेत्र के बाहर हुई इन दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए कोई मुआवजा नीति कार्यान्वित करने की कोई योजना नहीं है। झारखंड सरकार ने सूचित किया है कि:-

1. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मृतक के आश्रित मुआवजे के लिए एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) में दावा कर सकते हैं।

2. गृह, कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, मोटर दुर्घटना से मृत्यु होने के मामले में राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के तहत मृतक परिवार को एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है।

3. सरकार ने राज्य में हिट एंड रन पॉलिसी लागू की है। घातक दुर्घटना के मामले में, सरकार पीड़ित के नामित व्यक्ति को 2,00,000/– रुपये (दो लाख) का मुआवजा प्रदान करती है। चोट लगने के मामले में, सरकार पीड़ित को 50,000/- रुपए का मुआवजा देती है।

(ग) तथा (घ): आम्रपाली और मगध कोयला खानों के लीजहोल्ड क्षेत्र के बाहर सार्वजनिक सड़कों पर यातायात की आवाजाही के कारण होने वाली दुर्घटनाएं राज्य प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आती हैं। झारखंड सरकार के निदेशों के अनुसार सीसीएल के अधिकारी और ट्रांसपोर्टर केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का पालन करते हैं। झारखंड सरकार ने यह भी सूचित किया है कि वाहनों की ओवरलोडिंग, वैध फिटनेस, वाहनों की ओवर स्पीडिंग आदि के संबंध में प्रवर्तन दल द्वारा यातायात अपराधियों की निरंतर जांच की जाती है।

****